जी.सी.एम.एस.नं. ....

FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

तहसीलदार नीमकाथाना बनाम गै०मु० रास्ता बरसिंहवास

किस्म मुकदमा गै०मु०रास्ता ग्राम बरसिंहवास के श्मशान घाट से भैरू मन्दिर तक नम्बर 692 वर्ष 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/8/23	पत्रावली तहसीलदार नीमकाथाना से रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेश हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को मय नोटिस तलब किया जाकर दिनांक 21/8/23 को पेश हो। [signature] राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
21/8/2023	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक प. 3 (2) राज–6 / 2003 / पार्ट / जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ. / 2023 / 2997 दिनांक 24.07.2023 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने ग्राम **बरसिंहवास** पटवार मण्डल आगवाड़ी तहसील **नीमकाथाना** स्थित भूमि खसरा नम्बर **445 / 123** किस्म **गै.मु.** पहाड़ में रास्ता **ग्राम बरसिंहवास के श्मशान घाट से भैरू जी मंदिर तक कुल रकबा 0.08 हैक्ट.**का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण पत्र, रास्ते के फोटो ग्राफ सलग्न पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। [signature] राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज़ज	नंबर व ता... जो इस... तामील...
	पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं जॉच करने के पश्चात राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (signature) राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	